न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्याः 40/2025(जी.सी.एम.एस. 2025/50)

वादी	बनाम प्रतिवादीगण
1. कुलदीप सिंह पुत्र उजागर सिंह जाति राजपूत निवासी 42 एच तहसील श्रीकरणपुर।	1. तरसेम कौर पत्नी प्रीतम सिंह जाति राजपूत निवासी 42 एच तहसील श्रीकरणपुर। 2. प्रीतम सिंह पुत्र उजागर सिंह जाति राजपूत निवासी राजपूत निवासी 42 एच तहसील श्रीकरणपुर। 3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,88,91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजूः– 05.03.2025

उपस्थितः1.श्री इन्द्राज सेजू अधिवक्ता वादी

2.श्री ईकबाल सिंह ढिल्लों अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1, 2

––निर्णय–– **दिनांकः 13.05.2025**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 42 एच, पटवार हल्का 42 एच, भू.अ.नि. क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर, की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 14/08 के मुरब्बा नम्बर 39, 46, 52 की कुल 16.742 हैक्टेयर भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादी एंव प्रतिवादीगण अपनी काश्त सहूलियत के लिए उक्त भूमि का बंटवारा किया हुआ है। मौखिक बंटवारानामा के अनुसार वादी को चक 42 एच के मुरब्बा नम्बर 46 की 6.325 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 15, 16, 17, 23, 24, 25 सालम-सालम भूमि प्राप्त हुई है। वादी व प्रतिवादीगण मौखिक समझौता के अनुसार अपने-अपने रकबा पर काबिज अवश्य है। लेकिन दोनो का कब्जा काश्त के अनुसार रकबा अंकित नहीं है। हालांकि वादी ने कब्जा काश्त की भूमि को काफी मेहनत से भूमि को समतल करके, उसमें कई सुविधाओ का निर्माण किया है। वादी का जीवन निर्वाह व उज्जवल भविष्य कृषि भूमि पर निर्भर है, लेकिन राजस्व अभिलेख में मुताबिक कब्जा काश्त के रकबा अंकित नहीं है। वादी ने प्रतिवादीगण के समक्ष उपस्थित होकर, सहमति से राजस्व अंकन करवाने हेतु निवेदन किया, लेकिन उसके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नही दिया गया है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वादपत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 42 एच, पटवार हल्का 42 एच, भू.अ.नि. क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर, की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 14/08 के मुरब्बा नम्बर 39, 46, 52 की कुल 16.742 हैक्टेयर भूमि का खाता व लगान अलग से वादी के नाम कायम किए जाने के आदेश दिए जावे।
2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 2 की ओर से अधिवक्ता श्री ईकबाल सिंह ढिल्लों उपस्थित आए। प्रतिवादी संख्या 1, 2 की ओर से जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम के अनुसार प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 42 एच, पटवार हल्का 42 एच, भू.अ.नि. क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर, की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 14/08 के मुरब्बा नम्बर 39, 46, 52 की कुल 16.742 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम चक 42 एच के मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 11 की 0.227 हैक्टेयर, किला नम्बर 21 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 22 सालम कुल 0.708 हैक्टेयर भूमि का व प्रतिवादी संख्या 2 के नाम चक 42 एच के मुरब्बा नम्बर 39 की 6.199 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 52 के किला नम्बर 1 की 0.228 हैक्टेयर, किला नम्बर 2 ता 5, 8, 9 प्रत्येक सालम-सालम, किला नम्बर 10 की 0.228 हैक्टेयर कुल 8.173 हैक्टेयर भूमि का खाता व लगान अलग से कायम किए जाने के आदेश दिए जावे। वादी कुलदीप सिंह व प्रतिवादी संख्या 1 तरसेम कौर, प्रतिवादी संख्या 2 प्रीतम सिंह के द्वारा न्यायालय में स्वंय उपस्थित आकर राजीनामा पेश किया। राजीनामा दोनों पक्षों को पढकर सुनाया गया। दोनों पक्षों के द्वारा राजीनामा सुन व समझकर सही होना स्वीकार किया। राजीनामा तस्दीक किया जाकर सामिल मिसल किया गया। हस्तगत प्रकरण में दोनो पक्षों के द्वारा

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

राजीनामा पेश किया गया है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए। अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि वादीगण का वादपत्र दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

3. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बहस अधिवक्तागण सुनी गई। हमने बहस पर मनन किया, गौर किया तथा संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन करते हुए वादपत्र, जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम व दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा का गहनता से अध्ययन किया। दौराने बहस अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा मुताबिक वादपत्र व काउन्टर क्लेम डिक्री किया जावे। लिहाजा दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा मुताबिक वादीगण का वादपत्र व प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा करवाया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

4. अतः अंतिम डिक्री बहक वादी, प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि राजस्व ग्राम 42 एच, पटवार हल्का 42 एच, भू.अ.नि. क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर, की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 14/08 के मुरब्बा नम्बर 39, 46, 52 की कुल 16.742 हैक्टेयर भूमि में से वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2 के हिस्सा की भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन उभयपक्ष के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा मुताबिक निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र. स.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान
1	कुलदीप सिंह पुत्र उजागर सिंह जाति राजपूत निवासी 42 एच तहसील श्रीकरणपुर। (7.843 हैक्टेयर)	42 एच	46	1 ता 25	6.325 हैक्टेयर	नहरी	48.75
			52	15,16,17	0.759 हैक्टेयर	नहरी	5.85
				23,24,25	0.759 हैक्टेयर	नहरी	5.85
2	तरसेम कौर पत्नी प्रीतम सिंह जाति राजपूत निवासी 42 एच तहसील श्रीकरणपुर। (0.708 हैक्टेयर)	42 एच	52	11	0.227 हैक्टेयर	नहरी	1.75
				21	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.76
				22	0.253 हैक्टेयर	नहरी	1.95
3	प्रीतम सिंह पुत्र उजागर सिंह जाति राजपूत निवासी राजपूत निवासी 42 एच तहसील श्रीकरणपुर। (8.173 हैक्टेयर)	42 एच	39	1 ता 4	1.012 हैक्टेयर	नहरी	7.80
				5	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.76
				6	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.76
				7 ता 14	2.024 हैक्टेयर	नहरी	15.60
				15	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.76
				16	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.76
				17 ता 24	2.024 हैक्टेयर	नहरी	15.60
				25	0.227 हैक्टेयर	नहरी	1.75
			52	1	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.76
				2,3,4,5	1.012 हैक्टेयर	नहरी	7.80
				8, 9	0.506 हैक्टेयर	नहरी	3.90
				10	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.76

शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

निर्णय आज दिनांक 13.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)